82/2017 अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

A6/7

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 82/2017

1. गीतारानी पत्नी घासीराम जाति धाणक आयु 42 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 48 धाणक महोल्ला श्रीगंगानगर
2. बबलीदेवी पत्नी विजयकुमार जाति धाणक आयु 40 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 48 धाणक महोल्ला श्रीगंगानगर

अपीलार्थिया

बनाम

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीगंगानगर ,शहर।
2. श्रीमान उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर
3. श्रीमति सुमन गोदारा, महिला पर्यवेक्षक जवाहरनगर, श्रीगंगानगर

अप्रार्थीगण

उपस्थित :
1. अपीलार्थिया स्वंय

आदेश

दिनांक : 21–11–2017

अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण आंगनबाडी केन्द्र 48 सी श्रीगंगानगर में पिछले 20 वर्षो से प्रार्थीया सख्या 1 कार्यकर्ता व प्रार्थीया सख्या 2 सहायिका के पद पर कार्यरत थी तथा अपना कार्य कर्तव्य–निष्ठा पूर्वक करती आ रही थी। परियोजना के अधीन संचालित सैक्टर जवाहरनगर में आ0 बा0 केन्द्र 48 सी का महिला पर्यवेक्षक के द्वारा दिनांक 09.03.2017, 11.03.2017, 03.04.2017 02.05.2017 को निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान केन्द्र पर गम्भीर अनियमितायें पायी गई। इस कारण महिला पर्यवेक्षक के द्वारा तथाकथित प्रथम नोटिस 40/09.03.2017, द्वितीय नोटिस 10/10.03.2017, तृतीय नोटिस 12/03.04.2017 तथा अन्तिम नोटिस 30/02.05.2017 जारी किया गया जबकि प्रार्थीयान को एक भी नोटिस नहीं दिया गया। कथित नोटिस में अंकित करना बताया कि कार्यकर्ता श्रीमती गीतादेवी तथा सहायिका बबलीदेवी के द्वारा कार्य प्रणाली में कोई सुधार नहीं किया गया। बार–बार निरीक्षण के पश्चात भी केन्द्र पर गम्भीर अनियमितायें पायी गई । कार्यालय से प्रस्ताव क्रमांक 899/30.06.2017 तैयार कर हटाने की अनुशंषा कर श्रीमान उपनिदेशक महोदय श्रीगंगानगर को भिजवाया गया। इसी क्रम में अन्तिम सुनवाई का अवसर का अवसर प्रदान कर हटाने की अभिशंषा कर भिजवाई है। अतः उपरोक्त आदेश क्रमांक 899 दिनांक 30.06.2017 की पालना में प्रार्थीया सख्या 1 व प्रार्थीया संख्या 02 को तुरन्त प्रभाव से मानदेय से अलग किया जाने का आदेश दिया गया। कार्यालय आदेश में अन्तिम सुनवाई का अवसर दिये जाने का जिक्र है परन्तु हम प्रार्थीयान संख्या 1 व 2 को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। प्रार्थीया संख्या 01 अनुसूचित जाति से है और बीपीएल परिवार से है धर में कमाने वाला कोई नही है। इस प्रकार से 42 साल की उम्र से एकाएक हटाये जाने से परिवार में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

लिहाजा आदेश श्रीमान बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीगंगानगर शहर पत्र कमांकः– CDPO URBAN/स्था/ 2016–17 /1077–78 दिनांक 06.09.2017, आदेश कमांक 899 दिनांक 30.06.2017 को अपास्थ कर प्रार्थीयान को बहाल किये जाने का आदेश फरमाया जाकर प्रार्थीयान को न्याय प्रदान करने की कृपा करें।

उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्री गंगानगर से रिपोर्ट एवं रिकार्ड मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। उभय पक्ष को सुना गया। रिपोर्ट एवं रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

अपीलार्थिया ने अपनी बहस में बताया है कि अपीलार्थीगण आंगनबाडी केन्द्र 48 सी श्रीगंगानगर में पिछले 20 वर्षो से प्रार्थीया सख्या 1 कार्यकर्ता व प्रार्थीया सख्या 2 साहयिका के पद पर कार्यरत थी तथा अपना कार्य कर्तव्य–निष्ठा पूर्वक करती आ रही थी। महिला पर्यवेक्षक के द्वारा दिनांक 09.03.2017, 11.03.2017, 03.04.2017 02.05.2017 जारी किया गया जबकि प्रार्थीयान को एक भी नोटिस नहीं दिया गया। प्रार्थीयान पिछले 20 वर्षो से अपना कार्य निष्ठा व ईमानदारी से कर रही है। श्रीमान उपनिदेशक महोदय के द्वारा उपरोक्त कार्यकर्ता व सहायिका को अन्तिम सुनवाई का अवसर प्रदान कर हटाने की अभिशंषा कर भिजवाई है। अतः उपरोक्त आदेश कमांक 899 दिनांक 30.06.2017 की पालना में प्रार्थीया सख्या 1 व प्रार्थीया संख्या 02 को तुरन्त प्रभाव से मानदेय से अलग किया जाने का आदेश दिया गया को न्यायसंगत नहीं है क्योंकि प्रार्थीयान को कोई नोटिस नहीं दिया गया ना ही सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। अतः प्रार्थीयान को आदेश श्रीमान बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीगंगानगर शहर पत्र कमांकः– CDPO URBAN/स्था/2016–17/1077–78 दिनांक 06.09.2017, को अपास्थ कर प्रार्थीयान को बहाल किये जाने का निवेदन किया है।

रेस्पोडेन्ट बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीगंगानगर शहर ने अपनी जबाब एवं बहस में कहा है कि अपीलार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी कर एवं समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर मानदेय से प्रथक किया गया है क्योंकि अपीलार्थीगण को सैक्टर जवाहरनगर में आ0बा0केन्द्र 48 सी का महिला पर्यवेक्षक के द्वारा दिनांक 09.03.2017, 11.03.2017, 03.04.2017, 02.05.2017 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान केन्द्र बंद पाया गया, इसी कारण महिला पर्यवेक्षक के द्वारा प्रथम नोटिस 04/09.03.2017, द्वितीय नोटिस 10/11.03.2017, तथा तृतीय नोटिस 12/03.04.2017 तथा अन्तिम नोटिस 30/02.05.2017 जारी किया गया परन्तु कार्यकर्ता श्रीमती गीतारानी तथा सहायिका श्रीमती बबलीदेवी के द्वारा कार्य प्रणाली में कोई सुधार नही किया गया। इससे पूर्व महिला पर्यवेक्षक के द्वारा इस केन्द्र का बार–बार निरीक्षण किया जा चुका है। निरीक्षण के दौरान अनेक प्रकार की अनियमितता पाई गई है। बार बार अवसर प्रदान करने के पश्चात भी कार्यकर्ता एवं सहायिका के द्वारा कार्यशैली में कोई सुधार नहीं किया गया और विभागीय दिशानिर्देशों कि अवहेलना कि गई। इस कारण प्रस्ताव संख्या 899/30.06.2017 तैयार कर अनुशंषा हेतु श्रीमान उपनिदेशक श्रीगंगानगर के समक्ष भिजवाया गया । तदउपरान्त उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस कमांक 5690–92 दिनांक 18.07.2017 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना हेतु लिख गया। परन्तु प्रार्थीगण श्रीमति गीतारानी व बबली देवी का जवाब सन्तोषजनक नहीं होने के कारण श्रीमान उपनिदेशक श्रीगंगानगर के द्वारा इस केन्द्र का पुनः आकस्मिक निरीक्षण करवाया गया परन्तु स्थिति यथावत मिली, इसी कारण श्रीमान उपनिदेशक महोदय श्रीगंगानगर के द्वारा पत्रांक 5885/03.08.2017 के द्वारा प्रार्थीगण श्रीमती गीता रानी व श्रीमती बबली

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

देवी को मानदेय से अलग करने की अभीशंषा कर दी। अतः अपील खारिज की जाकर कार्यालय द्वारा जारी आदेश को बहाल रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली, रिपोर्ट एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्री गंगानगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 1225 दिनांक 14.11..2017 में अंकित किया है कि '' महिला पर्यवेक्षक द्वारा आंगनबाडी केन्द्र का समय समय पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गम्भीर अनियमिततायें पाये जाने के कारण महिला पर्यवेक्षक के द्वारा नोटिस क्रमांक :–04 / 09.03..2017, 10 / 11.03.2017, 12 / 03.04.2017, तथा अन्तिम नोटिस 30 / 02.05.2017 को जारी किये गये, जिस पर उपनिदेशक के द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाकर अपने आदेश क्रमांक 5885 दिनांक 03.08.2017 अपीलार्थीगण को हटाने की अभिशंषा जारी की गई।

विभागीय परिपत्र क्रमांक 150819 दिनांक 9.11.2016 अनुसार जिला स्तरीय अधिकारी निदेशालय के अधिकारियों अथवा अन्य उच्चधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किये जाने पर बिना किसी युक्तियुक्त कारण के आंगनबाडी केन्द्र बंद पाये जाने व गम्भीर अनियमितता पर संक्षिप्त जांच उपरान्त मानदेय कर्मियों को दोषी पाये जाने पर मानदेय सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे प्रकरणों में संबधित मानदेय कर्मी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए संक्षिप्त जांच उपरान्त , बाल विकास परियोजना अधिकारी समेकित बाल विकास सेवाऐ द्वारा सेवा से पृथक किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा। निर्णय से सम्बन्धित निरीक्षणकर्ता को भी आवश्यक रूप से सूचित किया जावेगा। किसी मानदेयकर्मी के बिना किसी सूचना / अनुमति के अनुपस्थित रहने पर 1–1 माह के अन्तराल में 2 नोटिस दिये जायेगे। दूसरे नोटिस के 15 दिवस के अन्दर उपस्थित नहीं होने पर संबंधित कर्मी को मानदेय सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार अपीलार्थीगण श्रीमती गीतारानी (कार्यकर्ता) श्रीमती बबली देवी (सहायिका) को नोटिस जारी किये गये परन्तु उनकी विधिवत तामिल नोटिस दिनांक 11.03.2017 जो कि श्रीमती गीतारानी (कार्यकर्ता) को प्राप्त होना पाया गया जिसमें अंकित है कि दिनांक 09.03.2017 को 10.20 ए.एम. पर आपके केन्द्र का निरीक्षण किया गया जिसमें आप 10.20 ए.एम. पर अनुपस्थित थी, नोटिस दिनांक 03.07.2017 को प्रातः 7.20 ए.एम. पर निरीक्षण किया गया जिसमें आपका आंगनबाडी केन्द्र बंद पाया गया एवं नोटिस दिनांक 04.07.2017 में अंकित किया है कि दिनांक 04.07.2017 को निरीक्षण के दौरान आपके केन्द्र पर रेट पोषाहार केन्द्र पर नहीं पाया गया एवं नोटिस दिनांक 02.05.2017 जो श्रीमती बबलीदेवी (सहायिका) को विधिवत तामील होना पाया गया जिसमें अंकित है कि आप दिनांक 02.05.2017 आपके आबा पाठशाला का 7.45 ए.एम. पर निरीक्षण कियस गया तो आपकी पाठशाला बन्द पाई गई एवं दिनांक 09.03.2017, 03.04.2017 को आप केन्द्र से अनुपस्थित थी। विभागीय निर्देशानुसार उन्हें 1 –1 माह के अन्तराल में 2 नोटिस दिये जाने थे । दूसरे नोटिस के 15 दिवस के अन्दर उपस्थित नहीं होने पर संबंधित कर्मी को मानदेय सेवा से पृथक किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पूर्ण प्रकिया का पालन करते हुए <u>'' सक्षिप्त जांच''</u> बाद विधिवत सुनवाई का अवसर देकर समुचित एंव निर्धारित कार्यवाही किये बिना ही पृथककरण के लिए अनुशंषा की है, वह विभागीय परिपत्र क्रमांक 150819 दिनांक 9.11.2016 के अनुरूप नहीं है लिहाजा उसे यथावत रखा जाना एवं उसके अनुकम में अप्रार्थी संख्या 1 सीडीपीओ श्रीगंगानगर द्वारा जारी

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

42/2017 - अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

A6/4

आदेश क्रमांक 1076 दिनांक 06.09.2017 निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर का आदेश क्रमांक 5885 दिनांक 03.08.2017 तथा अप्रार्थी संख्या 1 का अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाते है। अप्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थीगण को उनकी सेवा पर तुरन्त प्रभाव से यथावत रखने के आदेश जारी करें साथ ही श्रीमती गीतारानी (कार्यकर्ता) एवं श्रीमती बबलीदेवी (सहायिका) को निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा आगे से किसी प्रकार की अनियमितता की जाती है या अपने पदीय कर्तव्यों का लोप किया जाना पाया जाता है तो उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर आपको मानदेय से पृथक करने हेतु स्वतन्त्र रहेगी। आदेश की प्रति उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग, श्री गंगानगर को उनके कार्यालय से प्राप्त रेकार्ड के साथ प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 21.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

21/11

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर